

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी ३/१, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ ९(४)(२५)उ.मै.छ./ सान्चाइटि/ पोर्टल / सरलीकरण / २०१९-२०/

दिनांक : १२/०३/२०२०


आदेश

१७८१३

विभाग के पूर्व आदेश क्रमांक २२८२ दिनांक २०.०१.२०२० द्वारा शैक्षणिक सत्र २०१९-२० के लिए राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय/राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा ११ एवं १२ के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाईट [www.scholarship.rajasthan.gov.in](http://www.scholarship.rajasthan.gov.in) के माध्यम से ऐसे विद्यार्थी जिनका गत कक्षा का परीक्षा परिणाम दिनांक २९ फरवरी २०२० के पश्चात जारी हुआ है, के लिए पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.सं	विषय वस्तु	पूर्व में निर्धारित अन्तिम तिथि	छात्रवृत्ति पोर्टल प्रारम्भ करने की नवीन तिथि	नवीन निर्धारित अन्तिम तिथि
१	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	१५ फरवरी २०२०	११ मार्च २०२०	३१ मार्च २०२०

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी [www.scholarship.rajasthan.gov.in](http://www.scholarship.rajasthan.gov.in) पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष न. १८००-१८०-६१२७ पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

  
११-०३-२०२०  
(नन्दलल पहाड़िया)  
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/ संस्कृत, बीकानेर/ जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/ निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
9. वरिष्ठ प्रोजैक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज.जयपुर।
10. जिला कलेक्टर्स/ कोषाधिकारी, (समस्त)।
11. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
12. संयुक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
13. रजिस्ट्रार/ डीन/ निदेशक/ प्रशासक, राजकीय /निजी विश्वविद्यालय/ बोर्ड/ काउंसिल, समस्त.....।
14. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/ संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
15. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/ स्नातकोत्तर/ स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
16. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
17. अधीक्षक राजकीय/ निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
18. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
19. सिस्टम एनालिस्ट (JD) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई—मेल करवाने हेतु।
20. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार—प्रसार करवाया जाना सुनिश्चित करें।
21. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
22. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक  
(छात्रवृति एवं छात्रावास)